[illegible]
[illegible] / 2021
[illegible] 2021 / [illegible]

सहखातेदारी में दर्ज खेत ख.न. 122 तक की आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी संख्या 1 के खेत ख.न. 581/121 व प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खेत ख.न. 121 में से होकर मौकिक नजरी नक्शा एवं तकमीना अनुसार दर्शाया गया है जिस पर खेत ख.न. 122 में सहखातेदारी में दर्ज प्रार्थी संख्या 3 व 4 एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को रास्ता देने के लिए प्रार्थी संख्या 1 व 2 पूर्णरूप से सहमत है। जिससे प्रार्थीगण के साथ साथ अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का आवागमन कृषि कार्य के लिए सामूहिक होगा तथा रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रकरण शाखा में प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों एवं प्रस्तुत /दस्तावेजात से प्रकरण आत्यांतिक आवश्यक एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण तथा प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का होने से हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। साथ ही संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक को सूचित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—ः ः आदेश ः ः—

अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने व प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी होने के कारण स्वीकार किया जाकर ग्राम डीडीया खुर्द तहसील जायल के खसरा नं. 581/121, 121, 122 के लिए ग्राम डिडिया खुर्द के खसरा नं. 120, 581/121, 121 में प्रस्तावित रास्ता 15 फीट चौड़ाई का रास्ता मौकिक मौका रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक/नजरी नक्शानुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. 2021/3252 दिनांक 13.08.2021 उक्त निर्णय/आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम डीडीया खुर्द तहसील–जायल के खसरा नं. 581/121, 121, 122 के लिए खसरा नं. 120, 581/121, 121 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी पक्ष से प्रभावित खातेदार/पक्षकार को वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा प्रतिकर राशि (मौकिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। तहसीलदार जायल मौकिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदानुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने से संबंधित बैंक .... आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन कर लेवे।

यह आदेश आज दिनांक 13/12/2021 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

13/12/2021
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner